आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0–15 / 2024 श्री अनुप श्रीवास्तव, पता–संजय वर्मा, बोलाईडीह, रोड नं0–09, पो0–गम्हरिया, सरायकेला–खरसावाँ, पिन–832108 का अपील आवेदन व्हाटसएप्प के माध्यम से आयोग को प्राप्त हुआ है। अपीलकर्ता का आरोप है कि उनके द्वारा जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी–सह–अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम के समक्ष दर्ज किये गये परिवाद पत्र के मामले में 03 माह की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी उक्त परिवाद का निराकरण नहीं किया गया है। प्राप्त अपील आवेदन के साथ संलग्न परिवादी के दिनांक–09.03.2024 का शिकायत पत्र संलग्न है। संलग्न शिकायत में परिवादी द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्ध गैर विभागीय तरीके से जन वितरण प्रणाली दुकान को संचालन करने की पुनः अनुमति देने, परिवादी के आवेदन पर जाँच के आदेश में विलम्ब एवं त्रुटि बरतने, राशन डीलर डुमरिया महिला मण्डल से खाद्यान्न की वसूली अवैध तरीके से कराये जाने एवं डीलर द्वारा कई वर्षो से डबल–डबल राशन कार्ड / मृत लाभुकों के नाम पर सरकारी अनाज का उठाव एवं कालाबाजारी करने का आरोप लगाया गया है। प्राप्त अपील आवेदन पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–22.07.2024 को निर्धारित की जाती है। प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त परिवाद–पत्र की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर एवं अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। साथ ही उक्त मामले में जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी से भी कृत कार्रवाई की सूचना प्राप्त कर ली जाय। दिनांक--22.07.2024 को अपराह्न 12:00 बजे रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

D:\Dropbox Files\Anju\आदेश . . . docx222

वाद सं० 15/2024

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग नियमावली, 2015 के नियम 14(4) द्वारा सुनवाई हेतु निर्धारित दो सदस्यीय बेंच पूर्ण नहीं हो पाने के कारण वाद की सुनवाई अगले आदेश तक के लिए स्थगित की जाती है। उभय पक्ष को सूचित करें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

07.08.2024

इस वाद की सुनवाई कतिपय कारण से स्थगित की गई थी। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–28.08.2024 को निर्धारित की जाती है।

सुनवाई ऑनलाईन किया जाएगा। उभय पक्ष को सूचित करें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

अपरिहार्य कारण से इस वाद की सुनवाई स्थगित की जाती है। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–09.09.2024 को निर्धारित की जाती है।

सुनवाई ऑनलाईन किया जाएगा। उभय पक्ष को सूचित करें।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।